[20/12/2019]

प्रश्न सं. [क्र. 1868]

परिशिष्ट-1

श्रमिकों संबंधी दुर्घटना एवं मुआवजा संबंधी जानकारी

1. मनेरी मण्डला में बालाजी ब्रिक्स कंपनी नामक कोई कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं होने से दुर्घटना की जांच की जाकर कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत कारखाना प्रबंधन को अभियोजन की कार्यवाही की जा रही है तथा परिवाद माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय मण्डला में दायर किया जा रहा है । मृतक के आश्रितों को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो सके, इसके लिए कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के प्रावधानों के अंतर्गत माननीय श्रम न्यायालय जबलपुर को सूचित किया गया है । कारखाना प्रबंधन द्वारा मृतक की पत्नि को रूपये 1,80,000/- श्रमिक के उपचार हेतु तथा मृत श्रमिक के क्रियाकर्म हेतु रूपये 25000/- दिये गये हैं ।
2. भुमिजा इस्पात कंपनी में दुर्घटना घटित हुई जिसमें अपराधिक प्रकरण माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय मण्डला मे दिनांक 16/04/19 को दायर किया गया है । क्षतिपूर्ति राशि रू. 1 लाख त्वरित सहायता राशि तथा रूपये 1 लाख ठेकेदार के द्वारा इस प्रकार कुल रूपये 7 लाख मृत श्रमिकों के आश्रितों को प्रदान की गई है ।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
श्रम विभाग (शाखा ए)
मंत्रालय, भोपाल